न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 102/24

वादी :–

1– हिम्मतसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत
निवाससी मुगदड़ा तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–

1– जबरसिंह पुत्र भैरूसिंह
2–गोविन्दसिंह पुत्र भैरूसिंह
3–भगवानसिंह पुत्र जबरसिंह
4–उम्मेदसिंह पुत्र भैरूसिंह
5–मंजुकंवर पत्नी हिम्मतसिंह
सभी जातियान राजपूत निवासीगण मुगदड़ा तहसील रियांबड़ी
14–तहसीलदार रियांबड़ी
15–पटवारी हल्का मुंगदड़ा तह.रियांबड़ी।

वकील वादीः– श्री कैलाशराम कलवानियां
वकील प्रतिवादीगण :– श्री घनश्याम खालिया

दावा बाबत खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :- 03/12/24

वादी निम्न वाद प्रस्तुत करता है :–

1–यह है कि वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। सभी हिन्दु तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से गर्वन होते है। जिनका सिजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

भैरूसिंह फौत

हिम्मतसिंह	जबरसिंह	गोविन्दसिंह	उम्मेदसिंह	जोरसिंह
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्र
मंजुकंवर	भगवानसिंह			
पत्नी	पुत्र			

2–यह है कि ग्राम मुगदड़ा के खेत खसरा नंबर 657 रकबा 1.11 हैक्टर,खसरा नंबर 658 रकबा 1.58 हैक्टर वादी के नाम से व खसरा नंबर 872/657 रकबा 0.15 हैक्टर,खसरा नंबर 873/656 रकबा 2.56 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से व खसरा नंबर 986/871 रकबा 0.83 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से व खसरा नंबर 987/871 रकबा 0.83 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से व खसरा नंबर 874/657 रकबा 1.06 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से व खसरा नंबर 656 रकबा 0.64 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 5 के नाम से व खसरा नंबर 875/657 रकबा 0.92 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 6 के नाम से खातेदारी में दर्ज है जो पैतृक भूमि है।

3–यह है कि पेरा नंबर 2 में वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की जमीन है जिसका बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने मौके पर कर लिये है। व माफिक बंट के काश्त व काबिज चले आ रहे है। इसलिए वादी माफिक बंट के अपने नाम से खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

करवाना चाहता है। वादी के नाम से माफिक बंट में खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

4—यह है कि वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौके पर बंटवारा किया हुआ है व अलग अग धोरे व पलियां दी हुई है। इसी माफिक काश्त व काबिज चले आ रहे है। परंतु खातेदारी में नाम माफिक बंट के नहींहोने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी यह घोषणा व बंटवारा का वाद पेश कर रहा है।

5—यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के बीच में निम्न प्रकार से बंटवारा किया हुआ है जो निम्न प्रकार से है:—

<u>वादी हिम्मतसिंह के बंट में :—</u>

मौजा मुंगदड़ा के खसरा नंबर 987/871 रकबा 0.83 हैक्टर में सें 0.7542 हैक्टर व खसरा नंबर 658 रकबा 1.58 हैक्टर में सें रकबा 0.8258 हैक्टर व खसरा नंबर 657 रकबा 1.11 हैक्टर में सें 0.4256 हैक्टर व खसरा नंबर 875/657 रकबा 0.92 हैक्टर में सें रकबा 0.3142 हैक्टर व खसरा नंबर 874/657 रकबा 1.06 हैक्टर में सें रकबा 0.3259 हैक्टर,व खसरा नंबर 872/657 रकबा 0.15 हक्टर में सें रकबा 0.0443 हैक्टर संलग्न नजरी नक्शाअनुसार बंट में रहेगा।

<u>प्रतिवादी संख्या 01 जबरसिंह के बंट में :—</u>

मोजा मुंगदड़ा के खसरा नंबर 873/656 रकबा 2.56 हैक्टर में सें रकबा 2.1710 हैक्टर व खसरा नंबर 656 रकबा 0.64 हैक्टर में सें रकबा 0.5627 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रहेगा।

प्रतिवादी संख्या 2 गोविन्दसिंह के बंट में :—

मौजा मुंगदड़ा के खसरा नंबर 986/871 रकबा 0.83 हैक्टर में सें रकबा 0.4743 हैक्टर व खसरा नंबर 658 रकबा 1.58 हैक्टर में सें रकबा 0.3557 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रहेगा।

प्रतिवादी संख्या 03 भगवानसिंह के बंट में :—

मौजा मुंगदड़ा के खसरा नंबर 986/871 रकबा 0.83 हैक्टर में सें रकबा 0.3557 हैक्टर व खसरा नंबर 658 रकबा 1.58 हैक्टर में सें रकबा 0.3985 हैक्टर व खसरा नंबर 987/871 रकबा 0.83 हैक्टर में सें रकबा 0.0758 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रहेगा।

प्रतिवादी संख्या 04 उम्मेदसिंह के बंट में :—

मौजा मुंगदड़ा के खसरा नंबर 657 रकबा 1.11 हैक्टर में से रकबा 0.1795 हैक्टर व खसरा नंबर 875/657 रकबा 0.92 हैक्टर में सें रकबा 0.1617 हैक्टर व खसरा नंबर 874/657 रकबा 1.06 हैक्टर में सें 0.2189 हैक्टर व खसरा नंबर 872/657 रकबा 0.15 हैक्टर में सें रकबा 0.0336 हैक्टर व खसरा नंबर 656 रकबा 0.64 हैक्टर में सें रकबा 0.0773 हैक्टर व खसरा नंबर 873/656 रकबा 2.56 हैक्टर में सें रकबा 0.3890 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 05 मंजुकंवर के बंट में —

मौजा मुंगदड़ा के खसरा नंबर 657 रकबा 1.11 हैक्टर में सें रकबा 0.2268 हैक्टर व खसरा नंबर 875/657 रकबा 0.92 हैक्टर में सें रकबा 0.1822 हैक्टर व खसरा नंबर 874/657 रकबा 1.06 हैक्टर में सें रकबा 0.2081 हैक्टर व खसरा नंबर 872/657 रकबा 0.15 हैक्टर में सें रकबा 0.0२,१२हक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रहेगा।

प्रतिवादी संख्या 06 जोरसिंह के बंट में:—

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला—नागौर

मौजा मुंगदड़ा के खसरा नंबर 657 रकबा 1.11 हैक्टर में सें रकबा 0.2781 हैक्टर व खसरा नंबर 875/657 रकबा 0.92 हैक्टर में सें रकबा 0.2619 हैक्टर व खसरा नंबर 874/657 रकबा 1.06 हैक्टर में सें रकबा 0.3071 हैक्टर व खसरा नंबर 872/657 रकबा 0.15 हैक्टर में सें रकबा 0.0429 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रहेगा।

6–यह है कि वादी इस्तदुआ यह है कि दावा वादी की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण मय खर्चा के निम्न तरीके से सादिर फरमायी जावें कि :–

ए.यह है कि वादी पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की खातेदारी में दर्ज है जो पैतृक भूमि है।

बी.यह है कि वाद के पैरा संख्या 5 के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के बीच बंटवारा किया जाकर अलग अलग खातेदारी धोषित की जावें।

सी–यह है कि दीगर दादरसी मुफिद वादी हो अतः फरमायी जावें।

वकील वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जबाब हेतू जरिये सम्मन के तलब किया गया। वादी मय वकील व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 मय वकील के हाजिर होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा बाद पहचान के तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की खातेदारी में दर्ज है और भूमि पैतृक है। जिसका आपसी सहमति से बंटवारा मौके पर काश्त काबिज के अनुसार करवाना चाहते है। इसलिए वाद पत्र के पेरा संख्या 5 एंव संलग्न नजरी नक्शा अनुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाकर अलग अलग खातेदारी की घोषणा की जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्राावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व राजीनामा का अवलोकन किया गया। समस्त विवेचन से पाया गया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम वादग्रस्त भूमि खातेदारी में दर्ज है। जिसका बंटवारा अपनी सहूलियत से करवाना चाहते है। मौके पर काश्त अनुसार बंटवारा नहीं है। इसलिए राजीनामा पेश किया गया है। अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा के स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार से बंटवाड़ा किया जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

<u>वादी हिम्मतसिंह के बंट में :–</u>

मौजा मुंगदड़ा के खसरा नंबर 987/871 रकबा 0.83 हैक्टर में सें 0.7542 हैक्टर व खसरा नंबर 658 रकबा 1.58 हैक्टर में सें रकबा 0.8258 हैक्टर व खसरा नंबर 657 रकबा 1.11 हैक्टर में सें 0.4256 हैक्टर व खसरा नंबर 875/657 रकबा 0.92 हैक्टर में सें रकबा 0.3142 हैक्टर व खसरा नंबर 874/657 रकबा 1.06 हैक्टर में सें रकबा 0.3259 हैक्टर,व खसरा नंबर 872/657 रकबा 0.15 हक्टर में सें रकबा 0.0443 हैक्टर संलग्न नजरी नक्शाअनुसार बंट में रहेगा।

<u>प्रतिवादी संख्या 01 जबरसिंह के बंट में :–</u>

मोजा मुंगदड़ा के खसरा नंबर 873/656 रकबा 2.56 हैक्टर में सें रकबा 2.1710 हैक्टर व खसरा नंबर 656 रकबा 0.64 हैक्टर में सें रकबा 0.5627 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रहेगा।

<u>प्रतिवादी संख्या 2 गोविन्दसिंह के बंट में :–</u>

मौजा मुंगदड़ा के खसरा नंबर 986/871 रकबा 0.83 हैक्टर में सें रकबा 0.4743 हैक्टर व खसरा नंबर 658 रकबा 1.58 हैक्टर में सें रकबा 0.3557 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रहेगा।

प्रतिवादी संख्या 03 भगवानसिंह के बंट में :–

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

मौजा मुंगदड़ा के खसरा नंबर 986/871 रकबा 0.83 हैक्टर में सें रकबा 0.3557 हैक्टर व खसरा नंबर 658 रकबा 1.58 हैक्टर में सें रकबा 0.3985 हैक्टर व खसरा नंबर 987/871 रकबा 0.83 हैक्टर में सें रकबा 0.0758 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रहेगा।

<u>प्रतिवादी संख्या 04 उम्मेदसिंह के बंट में :-</u>

मौजा मुंगदड़ा के खसरा नंबर 657 रकबा 1.11 हैक्टर में से रकबा 0.1795 हैक्टर व खसरा नंबर 875/657 रकबा 0.92 हैक्टर में सें रकबा 0.1617 हैक्टर व खसरा नंबर 874/657 रकबा 1.06 हैक्टर में सें 0.2189 हैक्टर व खसरा नंबर 872/657 रकबा 0.15 हैक्टर में सें रकबा 0.0336 हैक्टर व खसरा नंबर 656 रकबा 0.64 हैक्टर में सें रकबा 0.0773 हैक्टर व खसरा नंबर 873/656 रकबा 2.56 हैक्टर में सें रकबा 0.3890 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रखा गया है।

<u>प्रतिवादी संख्या 05 मंजुकंवर के बंट में –</u>

मौजा मुंगदड़ा के खसरा नंबर 657 रकबा 1.11 हैक्टर में सें रकबा 0.2268 हैक्टर व खसरा नंबर 875/657 रकबा 0.92 हैक्टर में सें रकबा 0.1822 हैक्टर व खसरा नंबर 874/657 रकबा 1.06 हैक्टर में सें रकबा 0.2081 हैक्टर व खसरा नंबर 872/657 रकबा 0.15 हैक्टर में सें रकबा 0.0292 हक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रहेगा।

<u>प्रतिवादी संख्या 06 जोरसिंह के बंट में:-</u>

मौजा मुंगदड़ा के खसरा नंबर 657 रकबा 1.11 हैक्टर में सें रकबा 0.2781 हैक्टर व खसरा नंबर 875/657 रकबा 0.92 हैक्टर में सें रकबा 0.2619 हैक्टर व खसरा नंबर 874/657 रकबा 1.06 हैक्टर में सें रकबा 0.3071 हैक्टर व खसरा नंबर 872/657 रकबा 0.15 हैक्टर में सें रकबा 0.0429 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रहेगा।

तहसीलदार रियांबड़ी संलग्न नजरी नक्शा अनुसार पक्षकारान के बीच बलग अलग बंटवारा किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। संलग्न नजरी नक्शा इस निर्णय का भाग माना जावें।

निर्णय आज दिनांक 3/7/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर